कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 1999/12-1 दिनांक, रामनगर, 31/10/2022

सेवा में,

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी, नैनीताल

विषयः **जनपद– नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली दाबका नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/MIN/147953/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS** आपत्ति के संबंध में।

संदर्भः **वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की File No-8-61/1999-F.C. (Pt. V) दिनांक 15 सितम्बर 2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने विषयगत प्रस्ताव पर 7 बिन्दुओ की आपत्ति लगाई गयी थी, उक्त आपत्तियों के संबंध में याचक विभाग को लिखा गया, याचक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार प्रत्युत्तर आख्या निम्न प्रकार हैः–

आपत्ति	प्रतिउत्तर
I. The forest clearance has been sought for next 10 years whereas the approved mining plan is valid for next 3 years only. The State shall therefore provided/upload the approved mining plan for 10 years.	10 वर्षीय वन स्वीकृति की वैधता दि0–14.02.2023 तक होने के कारण Mining Plan की वैधता माह फरवरी 2023 (वन स्वीकृति की समाप्ति) तक प्राप्त हुई है। उत्तराखण्ड सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन योजना मात्र 05 वर्ष हेतु ही बनायी जानी निर्देशित है। जिस क्रम में आगामी वर्षो (वर्ष 2023 से वर्ष 2028 तक) हेतु Mining Plan की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है तथा स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।(छायाप्रति संलग्न–01)
II. The details/documents submitted in respect of the observation no. (viii) Of MOEF&CC'S EDS letter dated 10.05.2022 is not legible. A legible copy may be provided/uploaded in the online portal.	Observation no. (viii) Of MOEF&CC'S EDS letter dated 10.05.2022 की स्पष्ट छायाप्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–02)
III. DSR has been prepared as per SSMG-2016 Guideline. However, it's required as per the MOEF&CC'S SSMG Guideline-2019.	खनन विभाग द्वारा जारी खनन योजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (जिला–नैनीताल) दिनांक 25.07.2018 तक की प्रेषित की गई है। इस कार्यालय की पत्र सं0–1319/खनन 2022–23/ दिनांक 20.09.2022 द्वारा खनन विभाग से MOEF&CC'S SSMG Guideline-2019 के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया जिसके क्रम में खनन विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0–870/भू0खनि0ई0/खनन ई–रवन्ना/ 2022–23 दिनांक 30.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद नैनीताल कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) वर्ष 2018 के उपरान्त तैयार नहीं की गई है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–03)
IV. The cost benefit analysis is not as per the guidelines issued by the Ministry. The same may be provided as per guidelines and on the prescribed format.	लागत लाभ विश्लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः तैयार कर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–04)
V. As per the boundaries of the Corbett Tiger Reserve available with the DSS cell (procured form NTCA) the distance of proposed site is 0.90 km from the Corbett Tiger Reserve, Therefore, either there is discrepancy in the boundaries of above PAs or the KML file of the proposed area being used is not correct. The State Govt. shall therefore recheck the boundaries/kml file and accordingly take appropriate action keeping in view the distance of proposed site from the Corbett National Park/ Tiger Reserve and Eco-sensitive Zone of the PA.	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0, आधुनिकीकरण उत्तराखण्ड देहरादून की फाईल नं0– 3201 2डी /1/2020 /Forest department के आधार पर दाबका नदी के खनन क्षेत्र की कॉर्बेट टाईगर रिजर्व की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 6.6 किमी0, पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 1 0 किमी0 तथा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 11.2 किमी0 दर्शित है(संलग्नक–06)। उक्त के क्रम में यह अवगत कराना भी समीचीन होगा कि Ministry of Environment and Forest Wild Life Division की फाईल नं0–F.No-6-10/2011 /WL Dated 19-Dec-2012 के साथ संलग्न गाईड

		लाईन के बिन्दु सं0 3.5.1 के अन्तर्गत भी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 10.00 किमी0 परिधि के अन्तर्गत तथा बिन्दु सं0–3.33 में टाईगर रिजर्व की सीमा व बिन्दु सं0–3.4 में कन्जरवेशन रिजर्व की सीमा के अन्तर्गत आने पर ही NBWL की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान Eco-sensitive Zone अभी तक प्रख्यापित नहीं हो पाया है(**संलग्नक–06**)। उक्त के संबंध में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त विषय पर अपनी फाईल सं0 FC-11/119/2020-FC Dated 17-May-2022 से भी दिशानिर्देश जारी किये गये है। **(संलग्नक–6.1)**
VI.	The State has submitted two proposals simultaneously, one is collection of minor mineral from Dabka River over an area of 112.0 ha and other is collection of minor minerals from Kosi River over an area of 181.0 ha. In this regard it has been observed that the attachment CD with the reply of both proposals has common KML files of CA areas. The kml files of the CA areas pertaining to the instant proposal are required to be submitted separately so that they can be analyzed on DSS portal.	उक्त बिन्दु के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में वध कोसी नदी(181 है0) एवं दाबका नदी (112 है0) में उपखनिज चुगान हेतु वन भूमि लीज के प्रस्तावों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्र अन्य वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के भांति पूर्व निर्धारित नहीं था, साथ ही CAMPA ADHOC मद से भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि प्रकरणवार प्राप्त न होकर एकमुश्त प्राप्त होती है। चुंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र पूर्व निर्धारित न होने के कारण कोसी नदी एवं दाबका नदी में उपखनिज चुगान हेतु प्रस्तावों के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस वन प्रभाग के अन्तर्गत उपलब्ध अवनत वन क्षेत्र में किया गया। उपरोक्त कारणों से दोनों प्रस्तावों के क्षतिपूकर वृक्षारोपण क्षेत्र की KML File संयुक्त रूप से ही उपलब्ध है।
VII.	It has also been observed on DSS that one kml file of North Jaspur Range is found duplicate whereas [Upper Kosi (9.02 ha) and Upper Kosi (49.96 ha)], [Guljarpur plot 9 (802 ha) and Guljarpur plot no 9 B (10.06 ha)] and [Aampokhra plot 14 (16.05 ha) and Aampokhra plot 15 B (10.0 ha)] CA sites are found overlapping or have common area with each other. Such ambiguities are required to be addressed before submitting the kml files of CA areas pertaining to the instant proposal.	बिन्दु सं0 8 में वर्णित समस्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की KML File को संशोधित कर मय सी.डी. के संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक–07)

उक्त आपत्तियों के संबंध में याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्नों को आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 1999 / **दिनांकित**

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय प्रबन्धक खनन,रामनगर, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग– रामनगर को उनके पत्राक 1595 / दाबका नदी पुर्नप्रस्ताव दिनांक 21.10.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर